

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग
क्रमांक:प.16(57)चिशि/ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक: 23 JUL 2018

:-आज्ञा:-

मंत्रिमण्डल आज्ञा सं० 59/2018 की अनुपालना में मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा का नामकरण एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से "राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा" किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, समस्त केबीनेट मंत्री/ राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्री परिषद् की उपरोक्त आज्ञा के संदर्भ में।
8. निजी सचिव/ निजी सहायक, समस्त संयुक्त शासन सचिव, वरिष्ठ उप शासन सचिव/ उप शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर/ जिला अधीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर, राजस्थान को मय प्रेस नोट।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया उपरोक्त आदेशका आगामी असाधारण गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशन करवाकर प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन की दो प्रतियों अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
13. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्विज्ञान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
14. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशा०/अकादमी), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर, राजस्थान।
15. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/झालावाड़/भीलवाड़ा/पाली/चुरू/भरतपुर/सीकर/डूंगरपुर/बाड़मेर।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, भीलवाड़ा।
17. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव